न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदूमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
99/2015	धारा 91 एल.आर.एक्ट	28.07.2015	15.09.2015

उनवान सरकार बनाम भगवाना पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का गाडाखेड़ा ने सम्वत 2072 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि सरहद ग्राम गाडाखेड़ा की राजकीय भूमि गै0मु0जोहड़ ख0न0 348 कुल रकबा 17.09 है0 किस्म गै0मु0जोहड़ में से 0.05 है0 भूमि पर अतिक्रमी श्री भगवाना पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा ने अवैध रूप से बाड़ जोत कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा नोटिस जवाब पेश किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में बाड़ जोत कर अतिक्रमण किया गया है। जिसके सम्बंध में भू0अ0निरीक्षक गाडाखेड़ा से मौका जॉच रिपोर्ट ली गयी मौंका जॉच रिपोर्ट में भू0अ0निरीक्षक द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त बाड़ जोत अतिक्रमी स्वयं द्वारा हटाया हुआ पाया गया । अतः उक्त अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमि धोषित किया जाता है एवं अतिक्रमी स्वयं द्वारा हटाये गये अतिक्रमण को ही भौतिक बैदखली समझी जावे।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध बाड़ जोत/फसल कास्त कार्य किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.71/– का अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.30 की 50 गुणा जुर्माना राशि 15 /– बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 15.09.2015 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
तहसीलदार बुहाना

राजस्व लेखा सं. 4 के पृष्ठ सं 19.12.20
वर्ष 2015 से रु. 15)– कायम किये

राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner